संख्या - 45/1/2003-हिंशियो.(मु)/
भारत सरकार
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय

लोकनायक भवन,
खान मार्किट,
नई दिल्ली,
दिनांक:-

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- हिंदी शिक्षण योजना के पूर्व, मध्य एवं उत्तर क्षेत्र के कार्यालयों का पुनर्गठन ।

देश के पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदी प्रशिक्षण की बढ़ती मांग को ध्यान में रखकर एवं हिंदी प्रशिक्षण के कार्य को पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सघन रुप से संचालित करने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी शिक्षण योजना के क्षेत्रीय कार्यालयों को निम्नानुसार पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया है-

1. **उप निदेशक (मध्य), हिंदी शिक्षण योजना, जबलपुर के कार्यालय को गुवाहाटी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है,** जिसका नाम उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वोत्तर क्षेत्र होगा । इस कार्यालय के अंतर्गत पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्य - असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा, आएंगे ।

2. वर्तमान में हिंदी शिक्षण योजना के **मध्य क्षेत्र में आने वाले राज्य बिहार और झारखंड को उप निदेशक (पूर्व), हिंदी शिक्षण योजना के कार्य क्षेत्र में मिला दिया गया है ।**

3. वर्तमान में **मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उत्तरांचल राज्यों को उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, उत्तर क्षेत्र के साथ मिला दिया गया है** तथा वर्तमान उप निदेशक (उत्तर) का कार्यालय अब उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, **मध्योत्तर क्षेत्र का कार्यालय कहलाएगा ।**

4. वर्तमान में मध्य क्षेत्र के अंतर्गत **जबलपुर एवं कानपुर में संचालित प्रति पूर्णकालिक हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्र यथावत् संचालित किए जाते रहेंग,** जिनका नियंत्रण उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, मध्योत्तर क्षेत्र के अधीन होगा । इसी प्रकार, मध्य क्षेत्र के अंतर्गत **उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में संचालित हिंदी भाषा, हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि के सभी प्रशिक्षण केंद्र यथावत् संचालित होते रहेंगे,** जिनका नियंत्रण भी उप निदेशक,हिंदी शिक्षण योजना, मध्योत्तर क्षेत्र के अधीन होगा ।

.....2/-

5. हिंदी शिक्षण योजना के **उप निदेशक (दक्षिण) तथा उप निदेशक (पश्चिम) का कार्य क्षेत्र यथावत् बना रहेगा ।**

6. उपर्युक्त पुनर्गठन के परिणामस्वरुप संबंधित राज्यों में हिंदी भाषा, हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के **प्रशिक्षण की जिम्मेदारी संबंधित उप निदेशक की होगी ।** उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, मध्य क्षेत्र (जबलपुर) के कार्यालय के अधिकारियों/ कर्मचारियों के **स्थानांतरण आदेश अलग से जारी किए जा रहे हैं ।**

7. हिंदी शिक्षण योजना के पुर्नगठित क्षेत्रीय कार्यालयों तथा उनके कार्य क्षेत्रों का विवरण संलग्न सूची में दिया गया है ।

यह क्षेत्रीय पुनर्गठन इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा ।

(एस.रमणन)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु-

1. उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, मध्य क्षेत्र (जबलपुर), मध्य प्रदेश ।
2. उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, उत्तर क्षेत्र, नई दिल्ली ।
3. उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, पूर्व क्षेत्र, कोलकाता, पश्चिम बंगाल ।
4. उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, पश्चिम क्षेत्र, मंबई, महाराष्ट्र ।
5. उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, दक्षिण क्षेत्र, चेन्नै, तमिलनाडु ।
6. संयुक्त निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, मुख्यालय, नई दिल्ली ।
7. संयुक्त निदेशक, टंकण /आशुलिपि, हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली ।
8. उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली ।
9. अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
10. वेतन तथा लेखा कार्यालय (सचिवालय), गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
11. गार्ड फाईल ।

हिंदी शिक्षण योजना के क्षेत्रों की पुनर्गठित संरचना का नया स्वरूप

क्र.सं	क्षेत्र का नाम	मुख्यालय	क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य एवं संघ शासित प्रदेश
1.	पूर्व क्षेत्र	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, उड़ीसा,बिहार तथा झारखंड । अंडमान निकोबार द्वीप समूह,
2.	मध्योत्तर क्षेत्र	नई दिल्ली	दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल तथा छत्तीसगढ़ ।
3.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	गुवाहाटी	असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, सक्किम, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश ।
4.	दक्षिण क्षेत्र	चेन्नै	तमिलनाडु, केरल, आन्ध्र प्रदेश लक्षद्वीप तथा पांडेचेरी ।
5.	पश्चिम क्षेत्र	मुंबई	महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं द्वीप ।